

सेवामें,

श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन०आई०एक्ट कैसेस)

क्र०स०-1

उदयपुर (राज०)

अरविन्द लखारा

बनाम

कविश शर्मा

मु०न०

/2019 रै०फौ०

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा - 437 जा०फौ०

उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त कविश शर्मा पिता श्री अशोक कुमार शर्मा , उम्र बालिग, निवासी- राडाजी चौराहा, उदयपुर (राज०) की और से सविनय निवेदन है-

- 1- यह की प्रार्थी / अभियुक्त का उक्त प्रकरण आप न्यायालय में विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 15-12-2019 को नियत है ।
- 2- यह की प्रार्थी / अभियुक्त की बीमार हो जाने के कारण विगत पेशी पर प्रार्थी / अभियुक्त उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण से आप श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त का जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया तथा आज प्रार्थी / अभियुक्त स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है ।
- 3- यह की प्रार्थी / अभियुक्त की अनुपस्थिति का वाजिब एवं उचित कारण रहा है तथा आयांदा भविष्य में आप न्यायालय के आदेशानुसार बराबर पेशियों पर हाजिर अदालत रहेगा ।
- 4- यह की प्रार्थी / अभियुक्त आप न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है ।

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है की की प्रार्थी / अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश फरमावे ।

उदयपुर

दिनांक

हस्ताक्षर